

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcfajmer.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2021-22/ 3/08 दिनांक :- 16/3/22

निमित्त

Vice President,
Indraprastha Gas Limited,
GA Head-Ajmer,Pali,Rajasmand
IGL Bhawan Plot No 4, Community Centre
R.K. Puram, Sector-9 New Delhi 110022

विषय:- Laying of Under ground of 8"/12" Dia Carbon Steel Gas Pipeline Along the
NH-8 Road Within the Existing Row from Tapping Point NH-8 Jaipur -Ajmer
Bypass Tiraha via Kishangarh to Bandar Sindari (Length 38.800 Km) in District-
Ajmer(Rajasthan) by Indraprastha Gas Limited.Diversion of land 3.88ha
FP/RJ/Pipeline/ 147495/2021

संदर्भ:- भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8वी-राज008/2022-JPR दिनांक
07.03.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र से विषयान्तर्गत प्रकरण में उच्च कार्यालय द्वारा भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8वी-राज008/2022-JPR दिनांक 07.03.2022 से प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की विन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग-अलग चार प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति निजवाचें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8वी-राज008/2022-JPR दिनांक 07.03.2022 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त विन्दु संख्या 1 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत 10.0 हैक्टर डीएफएल वनखण्ड मण्डावरिया रक्षित में वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव करने हेतु राशि 1736661/-	1736661/-	कुल राशि रु. 5452847/- जो OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	शर्त विन्दु संख्या 3 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-केम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दर अनुसार एनपीवी राशि को समायोजित करते हुए डिमांड राशि निम्नानुसार है-3.88 ha. x 957780 = 3716186/-	3716186/-	
	क्र.सं. 1 व 2 का योग राशि	5452847.00	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पोषारोपण, निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी विन्दुओं की पालना मय अप्रण्टिफिकम प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति में प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय

(सुनील चिद्री)

उप वन संरक्षक
अजमेर

दिनांक:-

क्रमांक :-सम/

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर